

न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :- सुभाष चंद्र

तहसीलदार उदयपुरवाटी सरकार जरिये पटवारी हल्का छापोली,

बनाम

श्री भादरमल राजेन्द्र प्रसाद हेसराज पुत्रगण बोदूराम जाति माली निवासी ढाणी सौकडाला तहसील
उदयपुरवाटी

अर्तगत धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956

—:निर्णय:—

प्रकरण संख्या:- 92/2021

दिनांक 20.10.2021


पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। अप्रार्थी अनुपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का छापोली ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश कर सूचित किया कि संवत 2078 में मौजा ग्राम ढाणी सौकडाला पटवार हल्का छापोली के हाल भूमि खसरा नम्बर 680 रकबा 0.12 है0 किस्म गै0 मु0 नदी, खसरा नं. 689 रकबा 0.08 है0 किस्म गै0 मु0 पहाड़, खसरा नं. 690 रकबा 1.50 है0 किस्म गै0 मु0 पहाड़ किता 3 का कुल रकबा 1.70 है0 में से 0.90 है0 सरकारी भूमि पर श्री भादरमल राजेन्द्र प्रसाद हेसराज पुत्रगण बोदूराम जाति माली निवासी ढाणी सौकडाला ने अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया हैं। प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद तामील अनुपस्थित रहा है। अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अप्रार्थी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत सरकारी भूमि पर अनाधिकृत रूप अतिक्रमण करने के फलस्वरूप अतिक्रमि घोषित किया जाता हैं तथा उपरोक्त मुतनाजा अराजी से भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश

वाके ग्राम ढाणी सौकडाला पटवार हल्का छापोली के हाल भूमि खसरा नम्बर 680 रकबा 0.12 है0 किस्म गै0 मु0 नदी, खसरा नं. 689 रकबा 0.08 है0 किस्म गै0 मु0 पहाड़, खसरा नं. 690 रकबा 1.50 है0 किस्म गै0 मु0 पहाड़ किता 3 का कुल रकबा 1.70 है0 में से 0.90 है0 सरकारी भूमि पर से श्री भादरमल राजेन्द्र प्रसाद हेसराज पुत्रगण बोदूराम जाति माली निवासी ढाणी सौकडाला को बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं, साथ ही इस अनाधिकृत अतिक्रमण के दण्ड स्वरूप वार्षिक लगान 1.20 रुपये का 50 गुणा यानि कुल 60/-रुपये (अक्षरे रू साठ मात्र) बतौर जुर्माना अप्रार्थी पर आरोपित किया जाता है। निर्णय अनुसार मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखकार एवं भू अभिलेख निरीक्षक को लिखा जाये। भू अभिलेख निरीक्षक को आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी को सरकारी भूमि पर काश्त की गई फसल को राज हक में कुर्क कर निलाम करें व उक्त आराजी पर से अतिक्रमी को बेदखल कर रिपोर्ट बेदखली पेश करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20.10.2021 को खुले इजलास सुनाया गया।


तहसीलदार
उदयपुरवाटी (झुन्झुनू)

(सुभाष चंद्र)
नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी

